

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य- 03/2025

दिनांक 13/03/2025

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्या: वीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720, दिनांक: जून 04, 2020 व पत्र संख्या: 41/6-पु-3/2020, दिनांक: 04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 12.03.2025 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना नन्दगंज पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 64/2024 धारा 137(2), 87, 65(1) बी0एन0एस0 व 5(L) / 6 पाक्सों एक्ट से सम्बन्धित वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 12.03.2025 को उ0नि0 श्री रमेश तिवारी मय हमराह थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 64/2024 धारा 137(2), 87, 65(1) बी0एन0एस0 व 5(L) / 6 पाक्सों एक्ट में वांछित अभियुक्त आनन्द आजाद उर्फ लड्डू पुत्र गुड्डू राम निवासी ग्राम बधुई बुजुर्ग थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष को बहद ग्राम सहेड़ी तिराहा थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. आनन्द आजाद उर्फ लड्डू पुत्र गुड्डू राम निवासी ग्राम बधुई बुजुर्ग थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 64/2025 धारा 137(2), 87, 65(1) बी0एन0एस0 व 5(L) / 6 पाक्सों एक्ट थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर

02. थाना नन्दगंज पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 70/2024 धारा 137(2), 87, 65(1) बी0एन0एस0 व 5(L) / 6 पाक्सों एक्ट से सम्बन्धित वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 12.03.2025 को उ0नि0 श्री राकेश कुमार सोनकर मय हमराह थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 70/2024 धारा 137(2), 87, 65(1) बी0एन0एस0 व 5(L) / 6 पाक्सों एक्ट में वांछित अभियुक्त जुगेश पुत्र मारकण्डेय निवासी नन्दगंज उर्फ श्रीगंज थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र

करीब 20 वर्ष को उसके घर बहद ग्राम नन्दगंज उर्फ श्रीगंज थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. जुगेश पुत्र मारकण्डेय निवासी नन्दगंज उर्फ श्रीगंज थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 70/2025 धारा 137(2), 87, 65(1) बी0एन0एस0 व 5(L) / 6 पाक्सों एक्ट थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर

03. थाना रामपुर मांझा पुलिस द्वारा हत्या के मुकदमें के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष रामपुर मांझा श्री अभिराज सरोज मय हमराह द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 04/2025 धारा 103(1)/351(2)/3(5)/61(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त प्रभाकर तिवारी उर्फ सोनू तिवारी पुत्र अनिल कुमार तिवारी नि0 ग्राम देवकली थाना रामपुर मांझा उम्र 40 वर्ष को पूंछताछ हेतु आज दिनांक 12.03.2025 को थाने पर बुलाया गया, घटना में संलिप्तता पाये जाने पर थाना परिसर से गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. प्रभाकर तिवारी उर्फ सोनू तिवारी पुत्र अनिल कुमार तिवारी नि0 ग्राम देवकली थाना रामपुर मांझा , गाजीपुर उम्र 40 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1 . मु0अ0सं0 0432/2009 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर

2 . मु0अ0सं0 0590/2009 धारा 3(1) उ0प्र0 समाज विरोधी क्रियाकलाप नि0 अधि0 1986 थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर

3 . मु0अ0सं0 0004/2025 धारा 103(1)/351(2)/3(5)/61(2) थाना रामपुर मांझा जनपद गाजीपुर

बरामदगी- घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन सं0 UP 63S 1213 ई0को0 स्पोर्ट

04. जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा आगामी त्योहारों के दृष्टिगत विशेष अभियान चलाकर हिस्ट्रीशीटर्स चेकिंग/निगरानी एवं वांछित/वारण्टियों को किया गया गिरफ्तार।

आगामी त्यौहारों होली, रमजान एवं ईद आदि के दृष्टिगत जनपद में सुदृढ़ कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने एवं अपराध/अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटर्स की चेकिंग/निगरानी कार्यवाही हेतु एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत जनपद के थानों द्वारा दिनांक 12.03.2025 को कार्यवाही करते हुए कुल 566 हिस्ट्रीशीटर्स की चेकिंग/निगरानी की गई। इसी क्रम में 22 वारण्टी/वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका थानावार विवरण निम्नवत् है:-

1. थाना मुहम्मदाबाद

1 .कन्हैया राम पुत्र चन्द्रिका राम उम्र 53 वर्ष

2 .जितेन्द्र कुमार राम उर्फ बुझावन पुत्र रामा उम्र 35 वर्ष

- 3 .दिनेश राम पुत्र चन्द्रिका राम उम्र 61 वर्ष
- 4 .गोविन्द पुत्र रामा राम उम्र 25 वर्ष
- 5 .सत्यप्रकाश पुत्र श्याम रथी उम्र करीब 40 वर्ष
- 6 .सतेन्द्र उर्फ सत्यनारायन पुत्र दिनेश उम्र 32 वर्ष
- 7 .गोल्डेन पुत्र प्रेमचन्द उम्र करीब 34 वर्ष
- 8 .सोनू पुत्र रामचन्द्र राम उम्र करीब 25 वर्ष
- 9 . प्रेमचन्द पुत्र स्व0 तिलेश्वर उम्र 65 वर्ष
- 10 .रामचन्द्र पुत्र फेकू राम उम्र करीब 50 वर्ष
- 11 . जितेन्द्र कुमार उर्फ भोला पुत्र सुरेश उम्र करीब 35 वर्ष समस्त निवासीगण आबादान उर्फ बैरान थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर
- 12 . लक्ष्मण राम पुत्र सुखनन्दन उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम मुर्तजीपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर

02. थाना दुल्लहपुर

- 1 .दिनेश राम पुत्र शामू राम निवासी संयोगपुर थाना दुल्लहपुर गाजीपुर

03. थाना करण्डा

1. योगेश सिंह पुत्र स्व0 उदयकान्त सिंह निवासी ग्राम गोशन्देपुर थाना करण्डा जनपद गाजीपुर उम्र करीब 42 वर्ष
2. रामधनी पुत्र छांगुर चौधरी निवासी ग्राम सरौली थाना करण्डा जनपद गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष
- 3 .धनजय चौधरी पुत्र छांगुर चौधरी निवासी ग्राम सरौली थाना करण्डा जनपद गाजीपुर उम्र करीब 30 वर्ष
- 4 .पारस यादव पुत्र स्व0 हंसराज यादव निवासी ग्राम बलवन्तपुर धरम्मरपुर थाना करण्डा जनपद गाजीपुर उम्र करीब 45 वर्ष

04. थाना भाँवरकोल

1. भिखारी राम पुत्र बब्बन राम निवासी खरडीहा थाना भाँवरकोल गाजीपुर

05. थाना जमानियाँ

1. वकील राम पुत्र शिवनरायन राम निवासी मुहम्मदपुर थाना जमानियाँ जनपद गाजीपुर उम्र करीब 55 वर्ष
2. टार्जन पुत्र सुभाष निवासी पटखौलिया थाना जमानियाँ जनपद गाजीपुर उम्र करीब 35 वर्ष
3. ईश्वर दयाल पाण्डेय पुत्र रामजी पाण्डेय नि0 रोहुणा थाना जमानियाँ जनपद गाजीपुर उम्र करीब 80 वर्ष
4. प्रदीप कमकर पुत्र छांगुर निवासी पटखौलिया थाना जमानियाँ जनपद गाजीपुर उम्र करीब 42 वर्ष

उपरोक्त सभी गिरफ्तारशुदा वारण्टीगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर